एनटीपीसी
NTPC

एन टी पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)
(Formerly National Thermal Power Corporation Ltd

रिहंद / Rihand

Dated: 28.04.2026

Ref: 070/HR/forest land/Reply-3/2026

To
Assistant Inspector General of Forests (FC)
New Delhi

Subject: Regularization of 555.759 ha of diverted forest land for the construction of Rihand Super Thermal Power Project under Renukoot Forest Division in Sonebhadra district of Uttar Pradesh ¼Online PARIVESH Portal Proposal No. FP/UP/THERMAL/36097/2018)

Reference: Kindly take the reference of your last letter Ref: File No.:8-412/1989 FC (VOL-III) from Govt of India-MoEF and Climate Change (FC Division) dated 05.12.2025.

महोदय

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र दिनांक- 06.12.2025 द्वारा मागी गयी बिन्दुवार वांछित सूचना निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

S.N.	Query Reply-1
(i)	The User Agency and the State Govt. of Uttar Pradesh has not submitted a justification regarding submission of instant regularization proposal of 555.759 Ha out of Stage-I approved 744 Ha on the PARIVESH portal, because the FAC in its recommendation made in the meeting held on dated 16th November 2017 has not advised the state government for the submission of online regularisation proposal. Instead the submission of the compliance report of conditions stipulated in Stage-I issued by MoEF & CC on 23.08.1991 was insisted upon. The said recommendation of the FAC was communicated by the ministry wide it's later No. F.No. 8-412/1989-FC (Pt) dated 06.12 dot 2017(copy Enclosed). Therefore, the state government shall submit the detailed justification for submission regularisation proposal of 555.759 Ha out of Stage-I approved 744 Ha.

बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन मे निम्न प्रकार अवगत कराना है: -

1. जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत एन.टी.पी.सी रिहन्दनगर-बीजपुर के जनरल मैनेजर ने अपने पत्र संख्या- 070/पी.एण्ड.ए.एल.ए. दिनांक- 03.07.1989 **(संलग्नक-1)** द्वारा 2351.453 एकड़ (951.60हे) वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भेजा गया था जिसका ग्रामवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधौरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-
5	खैरी	74.410	-
6	जरहा	139.53	-
7	मिटिहिनी	69.59	68.56
8	खम्हरिया	116.50	32.125
9	झीलो	254.25	738.06
	योग-	**1512.708 एकड़ (612.184 हे.)**	**838.745 एकड़ (339.435 हे.)**

कुल रकबा 1512.708 + 838.745 = 2351.453 एकड़ या 951.60 हे.

उक्त प्रस्ताव को उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड, नई दिल्ली की सेवा में प्रेषित किया गया। इस संबंध में भारत सरकार के स्तर पर सलाहकार समिति की बैठक दिनांक- 24.07.1990 को आयोजित की गयी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के पश्चात प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या- 8-412/89- एफ.सी. दिनाक- 23.08.1991 **(संलग्नक-2)** द्वारा 951.60 हे. में से (744.00 हे.) वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु **2 (दो) शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया** जिसका दोनो शर्त संख्या एवं ग्रामवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है।

(i) The State Govt. should identify 744 ha. Of non-forest land immediately with comprehensive compensatory afforestation scheme and map. State Govt. should also take action for transfer of 744 ha. Of non- forest land in favour of Forest Deptt. To be followed up with notification declaring the same is protected forest.
(राज्य सरकार को व्यापक प्रतिपूरक वनरोपण योजना और मानचित्र के साथ तत्काल 744 हेक्टेयर गैर-वन भूमि की पहचान करनी चाहिए। राज्य सरकार को वन विभाग के पक्ष में 744 हेक्टेयर गैर-वन भूमि के हस्तांतरण के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए। इसे संरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना के साथ आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।)

(ii) The User agency will have to transfer the cost of compensatory afforestation in favour of Forest Deptt.
(उपयोगकर्ता एजेंसी को प्रतिपूरक वनरोपण की लागत वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करनी होगी।)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधौरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-
5	खैरी	74.410	-
6	मिटिहिनी	69.59	68.56
7	खम्हरिया	116.50	32.125
8	झीलो	254.25	364.58
	योग-	1373.178 **एकड़**	465.265 **एकड़**

कुल रकबा 1373.178 + 465.265 = 1838.443 एकड़ या 744.00 हे.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड -नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. द्वारा कुल 1373.178+ 465.265 = 1838.443

एकड़ (744.00 हे.) समतुल्य गैर वन भूमि एवं इस पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाना था।

कैमूर के दक्षिण मे निवास कर रहे आदिवासी ग्रामीणो एवं भूमिहीन कृषको द्वारा खेती के उपयोग मे लायी जा रही अतिक्रमित एवं वर्ग – 4 के रूप मे दर्ज वन भूमि पर भौमिक अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध मे एक सोनभद्र जिले की एक स्वयं सेवी संस्थान वनवासी सेवा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या -1061/1982 दाखिल किया गया था। उक्त रिट याचिका में एन.टी.पी.सी. द्वारा भी पक्षकार बनते हुए प्लान्ट आदि के निर्माण में आने वाली समस्याओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे प्रकरण को समझते हुए दिनांक **20.11.1986 (संलग्नक-3) को आदेश पारित करते हुए यह निर्देशित किया गया कि** " एन.टी.पी.सी. से प्रभावित ग्रामो पर किसानो आदि के कब्जे आदि का सत्यापन एक कमिश्नर की नियुक्ति करते हुए एन.टी.पी.सी. रिहन्द को आवश्यक धारा-4 की वन भूमि का कब्जा दे दिया जाय जिसके एवज मे एनटीपीसी किसानो को उचित मुआवजे का भुगतान करेगी जो भूमि अधिग्रहण के नियमो के तहत होगा। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक- 20.11.86 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है।:-

"The land sought to be acquired for the Rihand Super Thermal Power Project of the NTPC shall be freed from the ban of dispossession. Such land is said to be about 153 acres for Ash Pipeline and

1643 acres for Ash Dyke and are located in the villages of Khamhariya, Mitihini, Parbatwa, Jheelotola, Dodhar and Jarha. Possession thereof may be taken after complying; with the provisions of the Land Acquisition Act, but such possession should be taken in the presence of one of the Commissioners who are being appointed by this order and a detailed record of the nature and extent of the land, the same of the person who is being dispossessed and the nature of enjoyment of the land and all other relevant particulars should be kept for appropriate use in future. Such records shall be duly certified by the Commissioner in whose presence possession is taken and the same should be available for use in all proceedings that may be taken subsequently.

The NTPC has agreed before the Court that it shall strictly follow the policy on "facilities to be given to land oustees" as placed before the court in the matter of lands which are subjected to acquisition for its purpose, The same be taken as an undertaking to the court."

उक्त आदेश के अनुपालन में श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया की नियुक्ति की गयी। श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया द्वारा विभिन्न ग्रामों में एन.टी.पी.सी. के स्तर से

वांछित धारा-4 की भूमि पर किसानो आदि के कब्जे का सत्यापन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 14.12.1988 **(संलग्नक-4)** के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. को वांछित वन भूमि उपलब्ध करायी गयी जिस पर एन.टी.पी.सी.द्वारा प्लान्ट की स्थापना की गयी। उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी वन भूमि में किसानो आदि के कब्जे की भूमि का ग्रामवार विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	**ग्राम का नाम**	**भारतीय वन अधिनियम (भा.व.अ.)1927 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि एकड़ में**	**सदस्य बोर्ड आफ कमिश्नर द्वारा उपलब्ध करायी गयी धारा-4 की भूमि क्षेत्रफल एकड़ में**	**सदस्य बोर्ड आफ कमिश्नर द्वारा भूमि उपलब्ध कराने की तिथि**
1	बीजपुर	634.23	541.430	18.06.89
2	डोडहर	157.69	141.621	24.01.89
3	सिरसोती	32.598	31.108	17.02.89
4	खैरी	74.41	41.844	12.03.88
5	मिटिहिनी	69.59	62.649	06.02.88
6	नकटु अधौरा	33.91	16.970	29.08.89
	योग	**405.668 हे. या 1002.406 एकड़**	**338.164 हे. या 835.622 एकड़**	

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक- 14.12.1988 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

---- Mr Pandey, one of the Commissioners, is directed to visit the locality where the lands required for NTPC are located and to take immediate steps to ensure that the acquired land is released in favour of the Corporation within two weeks from today. Care should be taken to ensure that the interests of the residents within the area are not affected. Once this process is done, NTPC would be free to proceed with its work and there would be no prohibition against the NTPC in regard to the acquired lands.

प्लान्ट की स्थापना के दौरान तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा वन भूमि पर किये जा रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति भी की गयी किन्तु श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नाराजगी प्रकट

करते हुए अपने पत्र दिनांक- 16.09.1989 (संलग्नक-5) द्वारा वन संरक्षक वाराणसी वृत्त को पत्र प्रेषित करते हुए तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी को भी यह अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य पर आपत्ति करना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-20.11.1986 एवं 08.02.1989 का उल्लंधन होगा । श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के पत्र दिनांक- 16.09.1989 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

"----- In this connection I would like to mention that verification and transfer of occupancies has already taken place in compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 20-11-1986. Hence it would be a clear violation of the order of Hon'ble Supreme Court dated 8.2.1989 if any obstruction is caused by the Forest Department in the construction work of the NTPC Project. I would therefore suggest that necessary directions be issued to the D.F.O to refrain from obstructing projected works, otherwise serous legal consequences may follow-"

उक्त कब्जा की जानकारी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली को होने पर उन्होने अपने पत्र संख्या- 8-412/89-एफ.सी. दिनांक- 27.09.1989 **(संलग्नक-6)** द्वारा सचिव वन उ.प्र. सरकार से सूचना मागी गयी । भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में विशेष कार्याधिकारी उ.प्र. शासन ने अपने पत्र संख्या-2398/14-3-975/83 लखनऊ दिनांक- 24.10.1989 **(संलग्नक-7)** द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को अवगत कराया गया कि एन.टी.पी.सी. रिहन्दनगर -बीजपुर जिला-सोनभद्र को वन भूमि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक- 14.12.1988 के अनुपालन में हस्तगत करायी गयी है ।

उक्त याचिका की सुनवायी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक- 08.02.89 की गयी और यह आदेशित किया गया कि **वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान केवल एन.टी.पी.सी.रिहन्दनगर-बीजपुर जिला-सोनभद्र द्वारा वांछित धारा-20 की भूमि पर तथा अकृषिक भूमि पर ही आकर्षित होगें** । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक- 08.02.1989 **(संलग्नक-8)** का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

------At it appears the requirement of the NTPC has now increased to 2495 acres. Out of these land 1322 acres are said to be under occupancy, 185 acres constitute Gaon Sabha Lands and 987 acres are said to be forest lands. 791 acres of these lands seem to have been notified as reserved forest under section 20 of the Indian Forest Act. 1927, they are outside the purview of the writ petition as already directed by this Court. Release of such lands can only be done by satisfying the requirement of the Forest (Conservation) Act, 1980 and our order has, therefore, nothing to do with these 791 acres of land. 195 acres are said to be covered by a Notification under section 4 of the Forest Act. The balance of 942 acres seem to have been notified under section 4 of the Forest Act and they are covered by the present survey and record operations under the supervision of the Commissioners appointed by the Court.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 08.02.1989 की छाया प्रति असिसेन्ट रजिस्ट्रार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पत्र सं. डी.ओ. 1061/82/एस.ई.सी.-एक्ट नई दिल्ली दिनांक- 13.02.1989 **(संलग्नक-9)** द्वारा ज्यूडिसियल 'ए' सचिव उ.प्र. शासन लखनऊ व श्री आर.पी.पाण्डेय कमिश्नर 32/2 स्टेनली रोड इलाहावाद को प्रेषित की गयी। उक्त के क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शासन ने अपने पत्र संख्या- 1496/14-3-975/83 लखनऊ दिनांक-17.03.1989 **(संलग्नक-10)** द्वारा वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त एवं नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया गया तथा पत्र की प्रतिलिपि अन्य के साथ ही साथ प्रभाग को भी पृष्ठांकित की गयी।

2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी होने से पूर्व से ही माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वनवासी सेवा आश्रम द्वारा दाखिल याचिका संख्या- 1061/1982 में पारित मुख्य आदेश दिनांक- 20.11.1986 के अनुपालन में वन बन्दोबस्त की कार्यवाही उक्तानुसार सम्पादित हुयी थी। इस कार्यवाही के दौरान उक्त 744 हे. वन भूमि मे सम्मिलित धारा-4 मे विज्ञापित वन भूमि 555.759 हे0 मे से 463.492 हे. धारा-4 की वन भूमि ग्रामीणो आदि के पक्ष में ए.डी.जे. न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिये गये। इस प्रकार निर्णय के पश्चात एन.टी.पी.सी. के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु निम्न प्रकार वन भूमि का ग्रामवार क्षेत्रफल शेष रह गयी।

क्र.सं.	**ग्राम का नाम**	**धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में**	**धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में**
1	बीजपुर	89.781	-
2	नकटू अधौरा	11.398	-
3	डोडहर	15.099	-
4	सिरसोती	1.547	-
5	खैरी	32.566	-
6	मिटिहिनी	5.740	68.560
7	खम्हरिया	22.58	32.125
8	झीलो	50.089	364.58
	योग-	**228.80 एकड़**	**465.265 एकड़**

कुल रकबा 228.80+ 465.265 = 694.065 एकड़ या 280.884 हे.

उक्त के संबंध में प्रभाग द्वारा वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी के माध्यम से उच्च स्तर पर अवगत कराये जाने पर नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ ने अपने पत्र संख्या- 975/11 सी-10(120) दिनांक- 08.02.1996 **(संलग्नक-11)** द्वारा 698.679 एकड़ (280.508 हे.) वन भूमि के संबंध में समतुल्य गैर वन भूमि एवं धनराशि आदि की मांग करने के निर्देश दिये गये तथा अपने पत्र संख्या- 1026/11 सी-10(120) दिनाक-15.02.1996 **(संलग्नक-12)** द्वारा सहायक वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एफ.सी.डिवीजन पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली-11003 को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि
हस्तान्तरण के संबंध में संशोधित आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया । इस प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रस्तावित वन भूमि के रकबे में परिवर्तन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को वर्ष 1996 में ही अवगत करा दिया गया जिसके संबंध में भारत सरकार के स्तर से कोई अन्यथा निर्देश प्राप्त नही हुये ।

नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ के उक्त आदेश दिनांक- 08.02.1996/15.02.1996 के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. द्वारा समतुल्य **गैर वन भूमि (280.508 हे.) पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू. 4969500.00 का चेक संख्या- 2624055 दिनांक- 09.10.1997 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी** किन्तु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध नही करायी गयी । समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभाग स्तर से विभिन्न पत्रो द्वारा एन.टी.पी.सी. को अवगत कराया जाता रहा ।

प्रभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु किये गये मांग पत्र के क्रम में एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रभाग को यह जानकारी दी गयी कि वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक- 10.04.1997 **(संलग्नक-13)** द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि, **"भारत सरकार केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं में जो क्षतिपूरक वनीकरण होना है वह दुगूने अवनत वन भूमि पर होना है"।**

भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक- 10.04.1997 के क्रम में एन.टी.पी.सी. से 280.508 हे. वन भूमि के दुगूने अवतन वन भूमि 561.00 हे. पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु पूर्व मे जमा किये गये 49,69,500/- की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू. 32738115.00 की मांग की गयी । प्रभाग द्वारा एन0टी0पी0सी0 को प्रेषित मांग पत्र के अनुसार एन.टी.पी.सी. ने **बैक ड्राफ्ट संख्या- 230768 दिनांक- 18.02.2011 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 32738115.00 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से कैम्पा निधि में जमा कराया गया है ।**

उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रभाग स्तर से एन.टी.पी.सी. को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि का 9.20 लाख प्रति हे. की दर से रू. 258067360.00 (पचीस करोड़ अस्सी लाख सरसठ हजार तीन सौ साठ मात्र) की धनराशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया । **उक्त के क्रम में एन.टी.पी.सी. द्वारा वांछित धनराशि रू. 258067360.00**

का बैंक ड्राफ्ट संख्या-994461 दिनांक- 10.07.2010 द्वारा Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttar Pradesh A/c No CA 1574 Corporation Bank New Delhi के नाम से बना हुए बैंक ड्राफ्ट प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे कैम्पा निधि में जमा कराया गया है ।

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्तानुसार अनुपालन किया गया है ।

3. प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक- 16.11.2017 को एफ0ए0सी0 की बैठक आयोजित की गयी । एफ0ए0सी0 की बैठक के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ,जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-412/1989- एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक- 06.12.2017 **(संलग्नक-14)** जारी करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किया गया । उक्त निर्देश के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला-सोनभद्र के वन

भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक- 14.12.2017 को बैठक सम्पन्न की गयी जिसके कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक-1607/11-सी-बैठक दिनांक- 12/14.12.2017 **(संलग्नक-15)** जारी किया गया । उक्त कार्यवृत्त का विवरण निम्नानुसार है:-

(1) भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र दिनांक-23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा.निर्देशों के अनुसार आनलाइन प्रस्ताव एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा.निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 एवं एस0ओ0आई0 टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें ।

(2) एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित चिन्हित वन भूमि का Land Use define करेंगें ।

(3) एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी ।

(4) एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि से समायोजित किया जायेगा ।

(5) संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार मांग की जायेगी , जिसमें एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा ।

(6) एन0टी0पी0सी0 द्वारा संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

(7) एन0टी0पी0सी0 के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक- 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी ।

(8) भारत सरकार के पत्र दिनांक- 06.12.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में एन0टी0पी0सी0 को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में ऐश डाईक को छोड़े गये खनन क्षेत्रों में डम्प

करने से हेवी मेटल के रिहन्द जलाशय में लीच करने की सम्भावना पर एक अध्ययन **National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur** से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार , नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा ।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक- 16.11.2017 को एफ0ए0सी0 की बैठक मे लिये गये निर्णय के क्रम मे भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ,जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-412/1989- एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक- 06.12.2017 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला-सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक- 14.12.2017 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक-1607/11-सी-बैठक दिनांक- 12/14.12.2017 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन मे 744.00 हे0 वन भूमि मे सम्मिलित 188.241 हे0 धारा-20 मे विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा ऐश डाईक के लिए किया जाना था उसे रिहन्द जलाशय के 500 मीटर अन्दर होने के कारण उसका उपयोग न करते हुए उसे वन विभाग को वापस किया गया तथा शेष (744-188.241) 555.759 हे0 धारा-4 मे विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा करते हुए उसके नियमितीकरण किये जाने हेतु भारत सरकार के परिवेष पोर्टल पर आन लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान मे भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ।

S.N.	Query Reply-2
(ii)	The user agency has informed that 744.00 हे0 वन भूमि मे सम्मिलित 188.241 हे0 धारा-20 मे विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा ऐश डाईक के लिए किया जाना था उसे रिहन्द जलाशय के 500 मीटर अन्दर होने के कारण उसका उपयोग न करते हुए उसे वन विभाग को वापस किया गया तथा शेष (744-188.241) 555.759 हे0 धारा-4 मे विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा करते हुए उसके नियमितीकरण किये जाने हेतु भारत सरकार के परिवेष पोर्टल पर आन लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान मे भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है । However, it is pertinent to mention that the 188.241 Ha forest land which has been claimed by the user agency as handed over to the forest Department is reported to be submerged under Rihand Dam but it has not been clarified whether such land is under premises and control of the user agency or otherwise. The state Govt. shall clarify the same.

उपरोक्त बिन्दु के संदर्भ मे यह स्पष्ट अवगत करना है कि 188.241 हे. धारा-20 की वन भूमि रिहंद डैम मे डूबी हुई अवस्था मे नहीं है बल्कि सतह के ऊपर और तीन ग्रामो मे टुकड़ो मे है , जिसका विवरण निम्न है : -

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हे. मे)	जी. पी. एस. लोकेशन के अनुसार मौके पर बनाए गए पैचो की संख्या
1	मिटिहिनी	27.726	1
2	खम्हारिया	13.001	1
3	झीलों	147.514	1 से 6 तक
	योग	188.241	

उपरोक्त भूमि का हस्ततारण मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी , उ. प्र. लखनऊ , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ. प्र. लखनऊ के पत्रांक 2400/11-सी दिनांक 23.03.2022 के अनुपालन मे दिनांक 30.03.2022 को धारा-20 की भूमि 188.241 हे. का कब्जा वन विभाग को दे दिया गया ।

यह 188.241 हे. वन भूमि रिहंद परियोजना के अधिकार क्षेत्र एवं नियंत्रण से बाहर है और पूर्ण रूप से वन विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है । वर्तमान मे यह 188.241 हे. भूमि पर नियंत्रण एवं स्वामित्व केवल वन विभाग भारत सरकार का है ।

S.N.	Query Reply-3
(iii)	The State government has stated that the user agency has carried out the construction of thermal power plant without approval of Stage-II/Final approval as per order of Hon'ble Supreme Court. The State government has not clarified whether there is a specific order of Supreme Court regarding the construction of Rihand Super Thermal Power Project on forest land without final approval under VAN (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam-1980. A copy of the same cell be provided by the state government. राज्य सरकार ने कहा है कि उपयोगकर्ता एजेंसी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार द्वितीय चरण/अंतिम अनुमोदन प्राप्त किए बिना तापीय विद्युत संयंत्र का निर्माण किया है। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वन भूमि पर रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का कोई विशिष्ट आदेश है, जबकि यह निर्माण वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम-1980 के अंतर्गत अंतिम अनुमोदन के बिना किया गया है। कृपया राज्य सरकार द्वारा इसकी एक प्रति उपलब्ध कराई जाए।

उपरोक्त प्राशन का उत्तर राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है ।

S.N.	Query Reply-4
(iv)	The State government has informed that प्रश्नगत प्रकरण मे भारत सरकार के स्तर से 744 हे. वन भूमि के स्थान पर 555.759 हे. वन भूमि के संबंध मे सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरांत अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण से जमा करने की कार्यवाही की जाएगी । However , no such request from the State Govt. regarding reduction in the Stage-I granted 744 Ha of forest land to 555.759 ha forest land was received in the past. Furthermore, the construction activity has already been completed in the 555.759 Ha out of Stage-I approval 744Ha forest land. The State Govt. shall clarify reasons for non-submission of payment towards CA by the User Agency.

श्रीमान को इस संबंध में अवगत करना है कि भारत सरकार के स्तर पर सलाहकार समिति की बैठक दिनांक-24.07.1990 को आयोजित की गयी । उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के पश्चात प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या- 8-412/89- एफ.सी. दिनाक-23.08.1991 **(संलग्नक-2)** द्वारा 951.60 हे. में से (744.00 हे.) वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु **2 (दो) शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया** जिसका दोनो शर्त संख्या एवं ग्रामवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है ।

(i) The State Govt. should identify 744 ha. Of non-forest land immediately with comprehensive compensatory afforestation scheme and map. State Govt. should also take action for transfer of 744 ha. Of non- forest land in favour of Forest Deptt. To be followed up with notification declaring the same is protected forest.

(राज्य सरकार को व्यापक प्रतिपूरक वनरोपण योजना और मानचित्र के साथ तत्काल 744 हेक्टेयर गैर-वन भूमि की पहचान करनी चाहिए। राज्य सरकार को वन विभाग के पक्ष में 744 हेक्टेयर गैर-वन भूमि के हस्तांतरण के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए। इसे संरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना के साथ आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।)

(ii) The User agency will have to transfer the cost of compensatory afforestation in favour of Forest Deptt.
(उपयोगकर्ता एजेंसी को प्रतिपूरक वनरोपण की लागत वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करनी होगी।)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधौरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-
5	खैरी	74.410	-
6	मिटिहिनी	69.59	68.56
7	खम्हरिया	116.50	32.125
8	झीलो	254.25	364.58
	योग-	1373.178 **एकड़**	465.265 **एकड़**

कुल रकबा 1373.178 + 465.265 = 1838.443 एकड़ या 744.00 हे.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड -नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. द्वारा कुल 1373.178+ 465.265 = 1838.443 एकड़ (744.00 हे.) समतुल्य गैर वन भूमि एवं इस पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाना था।

पत्र संख्या- 070/पी.एण्ड.ए.एल.ए. दिनांक- 03.07.1989 (**संलग्नक-**1) द्वारा 2351.453 एकड़ (951.60हे) वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भेजा गया था

↓

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या- 8-412/89- एफ.सी. दिनाक-23.08.1991 (**संलग्नक-**2) द्वारा 951.60 हे. में से (744.00 हे.) वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु 2 **(दो) शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया।**

↓

188.241हे. भूमि का हस्तांतरण मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ. प्र. लखनऊ, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ. प्र. लखनऊ के पत्रांक 2400/11-सी दिनांक 23.03.2022 के अनुपालन मे दिनांक 30.03.2022 को धारा-20 की भूमि 188.241 हे. का कब्जा वन विभाग को वापस दे दिया गया है।

यह 188.241 हे. वन भूमि रिहंद परियोजना के अधिकार क्षेत्र एवं नियंत्रण से बाहर है और पूर्ण रूप से वन विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है। वर्तमान मे यह 188.241 हे. भूमि पर नियंत्रण एवं स्वामित्व केवल वन विभाग भारत सरकार का है।

"इस प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रस्तावित वन भूमि के रकबे में परिवर्तन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को वर्ष 1996 में ही अवगत करा दिया गया जिसके संबंध में भारत सरकार के स्तर से कोई अन्यथा निर्देश प्राप्त नही हुये । "

भुगतान के संबंध मे अवगत करना है कि

कुल अनुमोदित रकबा : 744 Ha. - 463.492 Ha (Treated as Private in line with SC Order) = 280.508 हे.

उक्त के संबंध में प्रभाग द्वारा वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी के माध्यम से उच्च स्तर पर अवगत कराये जाने पर नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ ने अपने पत्र संख्या- 975/11 सी-10(120) दिनांक- 08.02.1996 **(संलग्नक-11)** द्वारा 698.679 एकड़ (280.508 हे.) वन भूमि के संबंध में समतुल्य गैर वन भूमि एवं धनराशि आदि की मांग करने के निर्देश दिये गये तथा अपने पत्र संख्या- 1026/11 सी-10(120) दिनाक-15.02.1996 **(संलग्नक-12)** द्वारा सहायक वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एफ.सी.डिवीजन पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली-11003 को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में संशोधित आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया । इस प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रस्तावित वन भूमि के रकबे में परिवर्तन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को वर्ष 1996 में ही अवगत करा दिया गया जिसके संबंध में भारत सरकार के स्तर से कोई अन्यथा निर्देश प्राप्त नही हुये ।

नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ के उक्त आदेश दिनांक- 08.02.1996/15.02.1996 के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. द्वारा समतुल्य **गैर वन भूमि (280.508 हे.) पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू. 4969500.00 का चेक संख्या- 2624055 दिनांक- 09.10.1997 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी** किन्तु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध नही करायी गयी । समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभाग स्तर से विभिन्न पत्रो द्वारा एन.टी.पी.सी. को अवगत कराया जाता रहा ।

प्रभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु किये गये मांग पत्र के क्रम में एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रभाग को यह जानकारी दी गयी कि वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक- 10.04.1997 **(संलग्नक-13)** द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि, **"भारत सरकार केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं में जो क्षतिपूरक वनीकरण होना है वह दुगूने अवनत वन भूमि पर होना है"**।

भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक- 10.04.1997 के क्रम में एन.टी.पी.सी. से 280.508 हे. वन भूमि के दुगूने अवतन वन भूमि 561.00 हे. पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु पूर्व मे जमा किये गये 49,69,500/- की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू. 32738115.00 की मांग की गयी। प्रभाग द्वारा एन0टी0पी0सी0 को प्रेषित मांग पत्र के अनुसार एन.टी.पी.सी. ने **बैक ड्राफ्ट संख्या- 230768 दिनांक- 18.02.2011 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 32738115.00 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से कैम्पा निधि में जमा कराया गया है।**

उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रभाग स्तर से एन.टी.पी.सी. को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि का 9.20 लाख प्रति हे. की दर से रू. 258067360.00 (पचीस करोड़ अस्सी लाख सरसठ हजार तीन सौ साठ मात्र) की धनराशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया। **उक्त के क्रम में एन.टी.पी.सी. द्वारा वांछित धनराशि रू. 258067360.00 का बैंक ड्राफ्ट संख्या-994461 दिनांक- 10.07.2010 द्वारा Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttar Pradesh A/c No CA 1574 Corporation Bank New Delhi के नाम से बना हुए बैंक ड्राफ्ट प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे कैम्पा निधि में जमा कराया गया है।**

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्तानुसार अनुपालन किया गया है।

S.N.	Query Reply-5
(v)	It is observed that the Stage-1 approval was given by the ministry on date 23.08.1991, whereas the user agency instead of handing over the equivalent non-forest land to the Forest department, made the payment towards CA-for 561 Ha. degraded forest land (DFL). However, the status of plantation work carried out over 561 Ha DFL has not been submitted. The State Govt. shall submit the reason for the same, status of plantation, survival rate of plantation, under CA and KML file of CA land. यह देखा गया है कि मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.08.1991 को चरण-1 की स्वीकृति दी गई थी, जबकि उपयोगकर्ता एजेंसी ने वन विभाग को समतुल्य गैर-वन भूमि सौंपने के बजाय, 561 हेक्टेयर विकृत वन भूमि (डीएफएल) के लिए संचयन (सीए) का भुगतान कर दिया। हालांकि, 561 हेक्टेयर डीएफएल पर किए गए वृक्षारोपण कार्य की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। राज्य सरकार को इसके कारण, वृक्षारोपण की स्थिति, वृक्षारोपण की उत्तरजीविता दर, और संचयन (सीए) भूमि की केएमएल फाइल प्रस्तुत करनी चाहिए।

1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी होने से पूर्व से ही **माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वनवासी सेवा आश्रम द्वारा दाखिल याचिका संख्या- 1061/1982 में पारित मुख्य आदेश दिनांक- 20.11.1986 के अनुपालन में वन बन्दोबस्त की कार्यवाही उक्तानुसार सम्पादित हुयी थी । इस कार्यवाही के दौरान उक्त 744 हे. वन भूमि मे सम्मिलित धारा-4 मे विज्ञापित वन भूमि 555.759 हे0 मे से 463.492 हे. धारा-4 की वन भूमि ग्रामीणो आदि के पक्ष में ए.डी.जे. न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिये गये ।** इस प्रकार निर्णय के पश्चात एन.टी.पी.सी. के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु निम्न प्रकार वन भूमि का ग्रामवार क्षेत्रफल शेष रह गयी ।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	89.781	-
2	नकटू अधौरा	11.398	-
3	डोडहर	15.099	-
4	सिरसोती	1.547	-
5	खैरी	32.566	-
6	मिटिहिनी	5.740	68.560
7	खम्हरिया	22.58	32.125
8	झीलो	50.089	364.58
	योग-	**228.80 एकड़**	**465.265 एकड़**

कुल रकबा 228.80+ 465.265 = 694.065 एकड़ या 280.884 हे.

उक्त के संबंध में प्रभाग द्वारा वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी के माध्यम से उच्च स्तर पर अवगत कराये जाने पर नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ ने अपने पत्र संख्या- 975/11 सी-10(120) दिनांक- 08.02.1996 **(संलग्नक-11)** द्वारा 698.679 एकड़ (280.508 हे.) वन भूमि के संबंध में समतुल्य गैर वन भूमि एवं धनराशि आदि की मांग करने के निर्देश दिये गये तथा अपने पत्र संख्या- 1026/11 सी-10(120) दिनाक-15.02.1996 **(संलग्नक-12)** द्वारा सहायक वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एफ.सी.डिवीजन पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली-11003

को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में संशोधित आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया । इस प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रस्तावित वन भूमि के रकबे में परिवर्तन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को वर्ष 1996 में ही अवगत करा दिया गया जिसके संबंध में भारत सरकार के स्तर से कोई अन्यथा निर्देश प्राप्त नही हुये ।

नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ के उक्त आदेश दिनांक-08.02.1996/15.02.1996 के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. द्वारा समतुल्य **गैर वन भूमि (280.508 हे.) पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू. 4969500.00 का चेक संख्या- 2624055 दिनांक- 09.10.1997 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी** किन्तु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध नही करायी गयी । समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभाग स्तर से विभिन्न पत्रो द्वारा एन.टी.पी.सी. को अवगत कराया जाता रहा ।

प्रभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु किये गये मांग पत्र के क्रम में एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रभाग को यह जानकारी दी गयी कि वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक-10.04.1997 **(संलग्नक-13)** द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि, **"भारत सरकार केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं में जो क्षतिपूरक वनीकरण होना है वह दुगूने अवनत वन भूमि पर होना है"**।

भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक- 10.04.1997 के क्रम में एन.टी.पी.सी. से 280.508 हे. वन भूमि के दुगूने अवतन वन भूमि 561.00 हे. पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु पूर्व मे जमा किये गये 49,69,500/- की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू. 32738115.00 की मांग की गयी । प्रभाग द्वारा एन0टी0पी0सी0 को प्रेषित मांग पत्र के अनुसार एन.टी.पी.सी. ने **बैक ड्राफ्ट संख्या- 230768 दिनांक- 18.02.2011 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 32738115.00 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से कैम्पा निधि में जमा कराया गया है ।**

उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रभाग स्तर से एन.टी.पी.सी. को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि का 9.20 लाख प्रति हे. की दर से रू. 258067360.00 (पचीस करोड़ अस्सी लाख सरसठ हजार तीन सौ साठ मात्र) की धनराशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया । **उक्त के क्रम में एन.टी.पी.सी. द्वारा वांछित धनराशि रू. 258067360.00 का बैंक ड्राफ्ट संख्या-994461 दिनांक- 10.07.2010 द्वारा Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttar Pradesh A/c No CA 1574 Corporation Bank New Delhi के नाम से बना हुए बैंक ड्राफ्ट प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे कैम्पा निधि में जमा कराया गया है ।**

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्तानुसार अनुपालन किया गया है ।

S.N.	Query Reply-6
(vi)	The Ministry vide its letter dated 06.12.2017 (Copy Encloded) has already requested the State Govt. to collect the compensatory levies as applicable to central PSU from NTPC but the same has not been deposited yet. The State Govt.shall submit the justification for the same. मंत्रालय ने दिनांक 06.12.2017 के पत्र (प्रति संलग्न) के माध्यम से राज्य सरकार से एनटीपीसी से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू क्षतिपूर्ति शुल्क वसूलने का अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक यह राशि जमा नहीं की गई है। राज्य सरकार को इसके लिए औचित्य प्रस्तुत करना होगा।

इस बिन्दु के अनुपालन के संबंध मे अवगत करना है कि : - एनटीपीसी को भूमि 280.508 हे. वन भूमि के तौर पे आवंटित किया गया था

उक्त के संबंध में प्रभाग द्वारा वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी के माध्यम से उच्च स्तर पर अवगत कराये जाने पर नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ ने अपने पत्र संख्या- 975/11 सी-10(120) दिनांक- 08.02.1996 **(संलग्रक-11)** द्वारा 698.679 एकड़ (280.508 हे.) वन भूमि के संबंध में समतुल्य गैर वन भूमि एवं धनराशि आदि की मांग करने के निर्देश दिये गये तथा अपने पत्र संख्या- 1026/11 सी-10(120) दिनाक-15.02.1996 **(संलग्रक-12)** द्वारा सहायक वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एफ.सी.डिवीजन पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली-11003 को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में संशोधित आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया ।

नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ के उक्त आदेश दिनांक-08.02.1996/15.02.1996 के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. द्वारा समतुल्य **गैर वन भूमि (280.508 हे.) पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू. 4969500.00 का चेक संख्या- 2624055 दिनांक- 09.10.1997 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी** किन्तु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध नही करायी गयी । समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभाग स्तर से विभिन्न पत्रो द्वारा एन.टी.पी.सी. को अवगत कराया जाता रहा ।

प्रभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु किये गये मांग पत्र के क्रम में एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रभाग को यह जानकारी दी गयी कि वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक-10.04.1997 **(संलग्रक-13)** द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि, **"भारत सरकार केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं में जो क्षतिपूरक वनीकरण होना है वह दुगूने अवनत वन भूमि पर होना है"।**

भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक- 10.04.1997 के क्रम में एन.टी.पी.सी. से 280.508 हे. वन भूमि के दुगूने अवतन वन भूमि 561.00 हे. पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु पूर्व मे जमा किये गये 49,69,500/- की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू. 32738115.00 की मांग की गयी । प्रभाग द्वारा एन0टी0पी0सी0 को प्रेषित मांग पत्र के अनुसार एन.टी.पी.सी. ने **बैक ड्राफ्ट संख्या- 230768 दिनांक- 18.02.2011 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 32738115.00 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से कैम्पा निधि में जमा कराया गया है ।**

उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रभाग स्तर से एन.टी.पी.सी. को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि का 9.20 लाख प्रति हे. की दर से रू. 258067360.00 (पचीस करोड़ अस्सी लाख सरसठ हजार तीन सौ साठ मात्र) की धनराशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया । **उक्त के क्रम में एन.टी.पी.सी. द्वारा वांछित धनराशि रू. 258067360.00 का बैंक ड्राफ्ट संख्या-994461 दिनांक- 10.07.2010 द्वारा Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttar Pradesh A/c No CA 1574 Corporation Bank New Delhi के नाम से बना हुए बैंक ड्राफ्ट प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे कैम्पा निधि में जमा कराया गया है ।**

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्तानुसार अनुपालन किया गया है ।

555.759 हे. - 280.508 हे. (भुगतान हो चुका है) = 275.251 हे. जिसका भुगतान नहीं हुआ है और जो अतिरिक्त भूमि कि देय राशि अंतिम अनुमोदन के पश्चात Stage-II की अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान एनटीपीसी द्वारा नियमानुसार भुगतान किया जाएगा ।

S.N.	Query Reply-7
(vii)	The State Govt. has not submitted the detailed chronology regarding the instant proposal because as per the justification submitted by the user agency, the following was reported as under; *The Construction of the project started on 9th February 1983. The land identified for this purpose is combination of Private, Government land and Forest land. The Government of Uttar Pradesh acquired Private lands under LA act, Govt land under Govt Grant / ZA act etc and handed over to the NTPC for the construction of Super Thermal Power Station. As regards forest land, NTPC approached DFO in 1989 for diversion of 555 Ha of forest land/ Section 4 land and obtained Stage-I clearance for the same.* Hence the date when the work completed in the forest land, Forest area affected and delayed submission of forest diversion proposal in year 1989 when the Van

	(Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 came into existence on 25.10.1980 has not been clarified yet by the State Government. The same shall be clarified by the State Govt. along with the detailed chronology regarding the instant proposal. राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत कालक्रम प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित जानकारी दी गई है: परियोजना का निर्माण 9 फरवरी 1983 को शुरू हुआ। इस उद्देश्य के लिए चिन्हित भूमि निजी, सरकारी और वन भूमि का मिश्रण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत निजी भूमि, सरकारी अनुदान/जहाज अधिग्रहण अधिनियम आदि के तहत सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया और सुपर थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण के लिए एनटीपीसी को सौंप दिया। वन भूमि के संबंध में, एनटीपीसी ने 1989 में 555 हेक्टेयर वन भूमि/धारा 4 भूमि के डायवर्जन के लिए डीएफओ से संपर्क किया और इसके लिए प्रथम चरण की मंजूरी प्राप्त की। इसलिए, वन भूमि में कार्य पूर्ण होने की तिथि, प्रभावित वन क्षेत्र और 1989 में वन डायवर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी, जबकि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 25.10.1980 को अस्तित्व में आया था, राज्य सरकार द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रस्ताव से संबंधित विस्तृत कालक्रम के साथ इसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

उपरोक्त के संदर्भ मे विस्तृत कालानुक्रम निम्न प्रकार है :-

बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन मे निम्न प्रकार अवगत कराना है: -

(i) जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत एन.टी.पी.सी रिहन्दनगर-बीजपुर के जनरल मैनेजर ने अपने पत्र संख्या -070/पी.एण्ड.ए.एल.ए .दिनांक -03.07.1989 **(संलग्नक-1)** द्वारा 2351.453 एकड़)951.60हे (वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भेजा गया था जिसका ग्रामवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है -:

क्र.सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधौरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-

5	खैरी	74.410	-
6	जरहा	139.53	-
7	मिटिहिनी	69.59	68.56
8	खम्हरिया	116.50	32.125
9	झीलो	254.25	738.06
	योग-	**1512.708 एकड़ (612.184 हे.)**	**838.745 एकड़ (339.435 हे.)**

कुल रकबा 1512.708 + 838.745 = 2351.453 एकड़ या 951.60 हे.

उक्त प्रस्ताव को उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड, नई दिल्ली की सेवा में प्रेषित किया गया। इस संबंध में भारत सरकार के स्तर पर सलाहकार समिति की बैठक दिनांक- 24.07.1990 को आयोजित की गयी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के पश्चात प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या- 8-412/89- एफ.सी. दिनाक- 23.08.1991 **(संलग्नक-2)** द्वारा 951.60 हे. में से (744.00 हे.) वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु **2 (दो) शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया** जिसका दोनो शर्त संख्या एवं ग्रामवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है।

(ii) The State Govt. should identify 744 ha. Of non-forest land immediately with comprehensive compensatory afforestation scheme and map. State Govt. should also take action for transfer of 744 ha. Of non- forest land in favour of Forest Deptt. To be followed up with notification declaring the same is protected forest.
(राज्य सरकार को व्यापक प्रतिपूरक वनरोपण योजना और मानचित्र के साथ तत्काल 744 हेक्टेयर गैर-वन भूमि की पहचान करनी चाहिए। राज्य सरकार को वन विभाग के पक्ष में 744 हेक्टेयर गैर-वन भूमि के हस्तांतरण के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए। इसे संरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना के साथ आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।)

(iii) The User agency will have to transfer the cost of compensatory afforestation in favour of Forest Deptt.
(उपयोगकर्ता एजेंसी को प्रतिपूरक वनरोपण की लागत वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करनी होगी।)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधौरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-
5	खैरी	74.410	-
6	मिटिहिनी	69.59	68.56
7	खम्हरिया	116.50	32.125
8	झीलो	254.25	364.58
	योग-	1373.178 **एकड़**	465.265 **एकड़**

कुल रकबा 1373.178 + 465.265 = 1838.443 एकड़ या 744.00 हे.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड -नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. द्वारा कुल 1373.178+ 465.265 = 1838.443 एकड़ (744.00 हे.) समतुल्य गैर वन भूमि एवं इस पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराया जाना था ।

कैमूर के दक्षिण मे निवास कर रहे आदिवासी ग्रामीणो एवं भूमिहीन कृषको द्वारा खेती के उपयोग मे लायी जा रही अतिक्रमित एवं वर्ग – 4 के रूप मे दर्ज वन भूमि पर भौमिक अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध मे एक सोनभद्र जिले की एक स्वयं सेवी संस्थान वनवासी सेवा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या -1061/1982 दाखिल किया गया था। उक्त रिट याचिका में एन.टी.पी.सी. द्वारा भी पक्षकार बनते हुए प्लान्ट आदि के निर्माण में आने वाली समस्याओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया गया ।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे प्रकरण को समझते हुए दिनांक **20.11.1986 (संलग्नक-3) को आदेश पारित करते हुए यह निर्देशित किया गया कि** " एन.टी.पी.सी. से प्रभावित ग्रामो पर किसानो आदि के कब्जे आदि का सत्यापन एक कमिश्नर की नियुक्ति करते हुए एन.टी.पी.सी. रिहन्द को आवश्यक धारा-4 की वन भूमि

का कब्जा दे दिया जाय जिसके एवज मे एनटीपीसी किसानो को उचित मुआवजे का भुगतान करेगी जो भूमि अधिग्रहण के नियमो के तहत होगा । माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक- 20.11.86 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है ।:-

"The land sought to be acquired for the Rihand Super Thermal Power Project of the NTPC shall be freed from the ban of dispossession. Such land is said to be about 153 acres for Ash Pipeline and

1643 acres for Ash Dyke and are located in the villages of Khamhariya, Mitihini, Parbatwa, Jheelotola, Dodhar and Jarha. Possession thereof may be taken after complying; with the provisions of the Land Acquisition Act, but such possession should be taken in the presence of one of the Commissioners who are being appointed by this order and a detailed record of the nature and extent of the land, the same of the person who is being dispossessed and the nature of enjoyment of the land and all other relevant particulars should be kept for appropriate use in future. Such records shall be duly certified by the Commissioner in whose presence possession is taken and the same should be available for use in all proceedings that may be taken subsequently.

The NTPC has agreed before the Court that it shall strictly follow the policy on "facilities to be given to land oustees" as placed before the court in the matter of lands which are subjected to acquisition for its purpose, The same be taken as an undertaking to the court."

उक्त आदेश के अनुपालन में श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया की नियुक्ति की गयी । श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया द्वारा विभिन्न ग्रामों में एन.टी.पी.सी. के स्तर से वांछित धारा-4 की भूमि पर किसानो आदि के कब्जे का सत्यापन करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 14.12.1988 **(संलग्नक-4)** के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. को वांछित वन भूमि उपलब्ध करायी गयी जिस पर एन.टी.पी.सी.द्वारा प्लान्ट की स्थापना की गयी । उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी वन भूमि में किसानो आदि के कब्जे की भूमि का ग्रामवार विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	**ग्राम का नाम**	**भारतीय वन अधिनियम (भा.व.अ.)1927 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि एकड़ में**	**सदस्य बोर्ड आफ कमिश्नर द्वारा उपलब्ध करायी गयी धारा-4 की भूमि क्षेत्रफल एकड़ में**	**सदस्य बोर्ड आफ कमिश्नर द्वारा भूमि उपलब्ध कराने की तिथि**
1	बीजपुर	634.23	541.430	18.06.89
2	डोडहर	157.69	141.621	24.01.89
3	सिरसोती	32.598	31.108	17.02.89

4	खैरी	74.41	41.844	12.03.88
5	मिटिहिनी	69.59	62.649	06.02.88
6	नकटु अधौरा	33.91	16.970	29.08.89
	योग	**405.668 हे. या 1002.406 एकड़**	**338.164 हे. या 835.622 एकड़**	

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक- 14.12.1988 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

---- Mr Pandey, one of the Commissioners, is directed to visit the locality where the lands required for NTPC are located and to take immediate steps to ensure that the acquired land is released in favour of the Corporation within two weeks from today. Care should be taken to ensure that the interests of the residents within the area are not affected. Once this process is done, NTPC would be free to proceed with its work and there would be no prohibition against the NTPC in regard to the acquired lands.

प्लान्ट की स्थापना के दौरान तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा वन भूमि पर किये जा रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति भी की गयी किन्तु श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नाराजगी प्रकट करते हुए अपने पत्र दिनांक- 16.09.1989 (संलग्नक-5) द्वारा वन संरक्षक वाराणसी वृत्त को पत्र प्रेषित करते हुए तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी को भी यह अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य पर आपत्ति करना माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-20.11.1986 एवं 08.02.1989 का उल्लंधन होगा । श्री राम प्रकाश पाण्डेय कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के पत्र दिनांक- 16.09.1989 का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

"----- In this connection I would like to mention that verification and transfer of occupancies has already taken place in compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 20-11-1986. Hence it would be a clear violation of the order of Hon'ble Supreme Court dated 8.2.1989 if any obstruction is caused by the Forest Department in the construction work of the NTPC Project. I would therefore suggest that necessary directions be issued to the D.F.O to refrain from obstructing projected works, otherwise serous legal consequences may follow-"

उक्त कब्जा की जानकारी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली को होने पर उन्होने अपने पत्र संख्या- 8-412/89-एफ.सी. दिनांक- 27.09.1989 **(संलग्नक-6)** द्वारा सचिव वन उ.प्र. सरकार से सूचना मागी गयी । भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में विशेष कार्याधिकारी उ.प्र. शासन ने अपने पत्र संख्या-2398/14-3-975/83 लखनऊ दिनांक- 24.10.1989

(संलग्नक-7) द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को अवगत कराया गया कि एन.टी.पी.सी. रिहन्दनगर -बीजपुर जिला-सोनभद्र को वन भूमि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक- 14.12.1988 के अनुपालन में हस्तगत करायी गयी है ।

उक्त याचिका की सुनवायी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक- 08.02.89 की गयी और यह आदेशित किया गया कि **वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान केवल एन.टी.पी.सी.रिहन्दनगर-बीजपुर जिला-सोनभद्र द्वारा वांछित धारा-20 की भूमि पर तथा अकृषिक भूमि पर ही आकर्षित होगें** । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक- 08.02.1989 **(संलग्नक-8)** का मुख्य अंश निम्न प्रकार है:-

------At it appears the requirement of the NTPC has now increased to 2495 acres. Out of these land 1322 acres are said to be under occupancy, 185 acres constitute Gaon Sabha Lands and 987 acres are said to be forest lands. 791 acres of these lands seem to have been notified as reserved forest under section 20 of the Indian Forest Act. 1927, they are outside the purview of the writ petition as already directed by this Court. Release of such lands can only be done by satisfying the requirement of the Forest (Conservation) Act, 1980 and our order has, therefore, nothing to do with these 791 acres of land. 195 acres are said to be covered by a Notification under section 4 of the Forest Act. The balance of 942 acres seem to have been notified under section 4 of the Forest Act and they are covered by the present survey and record operations under the supervision of the Commissioners appointed by the Court.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 08.02.1989 की छाया प्रति असिसेन्ट रजिस्ट्रार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पत्र सं. डी.ओ. 1061/82/एस.ई.सी.-एक्ट नई दिल्ली दिनांक- 13.02.1989 **(संलग्नक-9)** द्वारा ज्यूडिसियल 'ए' सचिव उ.प्र. शासन लखनऊ व श्री आर.पी.पाण्डेय कमिश्नर 32/2 स्टेनली रोड इलाहावाद को प्रेषित की गयी । उक्त के क्रम में संयुक्त सचिव उ.प्र. शासन ने अपने पत्र संख्या- 1496/14-3-975/83 लखनऊ दिनांक-17.03.1989 **(संलग्नक-10)** द्वारा वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त एवं नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया गया तथा पत्र की प्रतिलिपि अन्य के साथ ही साथ प्रभाग को भी पृष्ठांकित की गयी ।

(iv) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली द्वारा जारी उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी होने से पूर्व से ही माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वनवासी सेवा आश्रम द्वारा दाखिल याचिका संख्या- 1061/1982 में पारित मुख्य आदेश दिनांक- 20.11.1986 के अनुपालन में वन बन्दोबस्त की कार्यवाही उक्तानुसार सम्पादित हुयी थी । इस कार्यवाही के दौरान उक्त 744 हे. वन भूमि मे सम्मिलित धारा-4 मे विज्ञापित वन भूमि 555.759 हे0 मे से 463.492 हे. धारा-4 की वन भूमि ग्रामीणो आदि के पक्ष में ए.डी.जे. न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिये गये । इस प्रकार निर्णय के पश्चात एन.टी.पी.सी. के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु निम्न प्रकार वन भूमि का ग्रामवार क्षेत्रफल शेष रह गयी ।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	89.781	-
2	नकटू अधौरा	11.398	-
3	डोडहर	15.099	-
4	सिरसोती	1.547	-
5	खेरी	32.566	-
6	मिटिहिनी	5.740	68.560
7	खम्हरिया	22.58	32.125
8	झीलो	50.089	364.58
	योग-	**228.80 एकड़**	**465.265 एकड़**

कुल रकबा 228.80+ 465.265 = 694.065 एकड़ या 280.884 हे.

उक्त के संबंध में प्रभाग द्वारा वन संरक्षक वाराणसी वृत्त वाराणसी के माध्यम से उच्च स्तर पर अवगत कराये जाने पर नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ ने अपने पत्र संख्या- 975/11 सी-10(120) दिनांक- 08.02.1996 **(संलग्रक-11)** द्वारा 698.679 एकड़ (280.508 हे.) वन भूमि के संबंध में समतुल्य गैर वन भूमि एवं धनराशि आदि की मांग करने के निर्देश दिये गये तथा अपने पत्र संख्या- 1026/11 सी-10(120) दिनाक-15.02.1996 **(संलग्रक-12)** द्वारा सहायक वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एफ.सी.डिवीजन पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली-11003 को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में संशोधित आदेश जारी करने हेतु अनुरोध किया गया। इस प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रस्तावित वन भूमि के रकबे में परिवर्तन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को वर्ष 1996 में ही अवगत करा दिया गया जिसके संबंध में भारत सरकार के स्तर से कोई अन्यथा निर्देश प्राप्त नही हुये।

नोडल अधिकारी/वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त उ.प्र. लखनऊ के उक्त आदेश दिनांक-08.02.1996/15.02.1996 के अनुपालन में एन.टी.पी.सी. द्वारा समतुल्य **गैर वन भूमि (280.508 हे.) पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू. 4969500.00 का चेक संख्या- 2624055 दिनांक- 09.10.1997 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी** किन्तु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध नही करायी गयी।

समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभाग स्तर से विभिन्न पत्रो द्वारा एन.टी.पी.सी. को अवगत कराया जाता रहा ।

प्रभाग द्वारा समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु किये गये मांग पत्र के क्रम में एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रभाग को यह जानकारी दी गयी कि वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक- 10.04.1997 **(संलग्नक-13)** द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि, **"भारत सरकार केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं में जो क्षतिपूरक वनीकरण होना है वह दुगूने अवनत वन भूमि पर होना है"।**

भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक- 10.04.1997 के क्रम में एन.टी.पी.सी. से 280.508 हे. वन भूमि के दुगूने अवतन वन भूमि 561.00 हे. पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु पूर्व मे जमा किये गये 49,69,500/- की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रू. 32738115.00 की मांग की गयी । प्रभाग द्वारा एन0टी0पी0सी0 को प्रेषित मांग पत्र के अनुसार एन.टी.पी.सी. ने **बैक ड्राफ्ट संख्या- 230768 दिनांक- 18.02.2011 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 32738115.00 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से कैम्पा निधि में जमा कराया गया है ।**

उक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में प्रभाग स्तर से एन.टी.पी.सी. को पत्र प्रेषित करते हुए 280.508 हे. वन भूमि का 9.20 लाख प्रति हे. की दर से रू. 258067360.00 (पचीस करोड़ अस्सी लाख सरसठ हजार तीन सौ साठ मात्र) की धनराशि जमा करने हेतु अनुरोध किया गया । **उक्त के क्रम में एन.टी.पी.सी. द्वारा वांछित धनराशि रू. 258067360.00 का बैंक ड्राफ्ट संख्या-994461 दिनांक- 10.07.2010 द्वारा Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttar Pradesh A/c No CA 1574 Corporation Bank New Delhi के नाम से बना हुए बैंक ड्राफ्ट प्रभाग में उपलब्ध कराया गया जिसे कैम्पा निधि में जमा कराया गया है ।**

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्तानुसार अनुपालन किया गया है ।

(v) प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक- 16.11.2017 को एफ0ए0सी0 की बैठक आयोजित की गयी । एफ0ए0सी0 की बैठक के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ,जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-412/1989- एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक- 06.12.2017 **(संलग्नक-14)** जारी करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किया गया । उक्त निर्देश के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला-सोनभद्र के वन

भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक- 14.12.2017 को बैठक सम्पन्न की गयी जिसके कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक-1607/11-सी-बैठक दिनांक- 12/14.12.2017 **(संलग्नक-15)** जारी किया गया । उक्त कार्यवृत्त का विवरण निम्नानुसार है:-

(1) भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्र दिनांक 23.08.1991-के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी 0द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन) संरक्षण (अधिनियम, 1980के नवीन दिशा.निर्देशों के अनुसार आनलाइन प्रस्ताव एन0टी0पी0सी 0द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा.निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के0एम0एल 0 फाईल की सी0डी 0एवं एस0ओ0आई 0टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगें ।

(2) एन0टी0पी0सी 0द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित चिन्हित वन भूमि का Land Use define करेंगें ।

(3) एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी ।

(4) एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि से समायोजित किया जायेगा ।

(5) संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार मांग की जायेगी , जिसमें एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा ।

(6) एन0टी0पी0सी0 द्वारा संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

(7) एन0टी0पी0सी0 के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक- 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी ।

(8) भारत सरकार के पत्र दिनांक- 06.12.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में एन0टी0पी0सी0 को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में ऐश डाईक को छोड़े गये खनन क्षेत्रों में डम्प

करने से हेवी मेटल के रिहन्द जलाशय में लीच करने की सम्भावना पर एक अध्ययन **National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur** से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार , नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा ।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक- 16.11.2017 को एफ0ए0सी0 की बैठक मे लिये गये निर्णय के क्रम मे भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज ,जोर बाग रोड, नई दिल्ली के पत्र संख्या-8-412/1989- एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक- 06.12.2017 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला-सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक- 14.12.2017 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक-1607/11-सी-बैठक दिनांक- 12/14.12.2017 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन मे 744.00 हे0 वन भूमि मे सम्मिलित 188.241 हे0 धारा-20 मे विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा ऐश डाईक के लिए किया जाना था उसे रिहन्द जलाशय के 500 मीटर अन्दर होने के कारण उसका उपयोग न करते हुए उसे वन विभाग को वापस किया गया तथा शेष (744 -188.241) 555.759 हे0 धारा-4 मे विज्ञापित वन भूमि जिसका उपयोग एन0टी0पी0सी0 द्वारा करते हुए उसके नियमितीकरण किये जाने हेतु भारत सरकार के परिवेष पोर्टल पर आन लाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान मे भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ।

S.N.	Query Reply-8
(viii)	The state government has informed that it transferred the land to NTPC on 14.12.1988 As per order of Hon'ble Supreme Court before Stage I approval on 23.08.1991. The State Govt. has not attached the copy of order dated 14.12.1998 of Hon'ble Supreme Court. A copy of the same shall be provided. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने प्रथम चरण की मंजूरी 23.08.1991 से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 14.12.1988 को एनटीपीसी को भूमि हस्तांतरित कर दी थी। राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 14.12.1988 के आदेश की प्रति संलग्न नहीं की है। इसकी एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

उक्त के संदर्भ मे अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 14.12.1988 के आदेश की प्रति **(संलग्नक 16)** के रूप मे संलग्न की गई है।

S.N.	Query Reply-9
(ix)	The State Govt. has not submitted the area change matrix as was asked in point no. x of EDS letter dated 02.08.2024. The State Govt. shall provide the same. राज्य सरकार ने 2 अगस्त 2024 के ईडीएस पत्र के बिंदु संख्या x में उल्लिखित क्षेत्र परिवर्तन मैट्रिक्स प्रस्तुत नहीं किया है। राज्य सरकार इसे उपलब्ध कराएगी।

Area Change matrix as per point no (x) is below: -

एनटीपीसी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित भूमि का विवरण :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधौरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-
5	खैरी	74.410	-
6	जरहा	139.53	-
7	मिटिहिनी	69.59	68.56
8	खम्हरिया	116.50	32.125
9	झीलो	254.25	738.06
	योग-	1512.708 Acr	838.745 Acr

एनटीपीसी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए आवंटित भूमि का विवरण :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में

1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधौरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-
4	सिरसोती	32.598	-
5	खैरी	74.410	-
6	मिटिहिनी	69.59	68.56
7	खम्हरिया	116.50	32.125
8	झीलो	254.25	364.58
	योग-	1373.178 Acr	465.265 Acr

वर्ष 2021-22 मे वन विभाग को वापस की गई भूमि का विवरण :

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (हे. मे)	जी. पी. एस. लोकेशन के अनुसार मौके पर बनाए गए पैचो की संख्या
1	मिटिहिनी	27.726	1
2	खम्हारिया	13.001	1
3	झीलों	147.514	1 से 6 तक
	योग	188.241	

उपरोक्त भूमि का हस्ततारण मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी , उ. प्र. लखनऊ , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ. प्र. लखनऊ के पत्रांक 2400/11-सी दिनांक 23.03.2022 के अनुपालन मे दिनांक 30.03.2022 को धारा-20 की भूमि 188.241 हे. का कब्जा वन विभाग को दे दिया गया ।

वर्तमान मे एनटीपीसी के पास वन भूमि :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	धारा-4 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में	धारा-20 की वन भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
1	बीजपुर	634.23	-
2	नकटू अधौरा	33.910	-
3	डोडहर	157.690	-

4	सिरसोती	32.598	-
5	खैरी	74.410	-
6	मिटिहिनी	69.59	
7	खम्हरिया	116.50	
8	झीलो	254.25	
	योग-	**1373.178 Acres (555.717 Ha.)**	

क्र सं	प्रक्रिया	धारा-4 वन भूमि (हे.)	धारा-20 वन भूमि (हे.)	कुल योग /सम्पूर्ण भूमि
01	प्रस्तावित	1512.708	838.745	2351.453 (951.620हे.)
02	आवंटन	1373.28	465.144	1838.424 (744हे.)
03	वन विभाग को वापस किया गया	0	465.144 188.241(हे.)	1373.178 (555.759हे.)
04	वर्तमान मे एनटीपीसी के पास उपलब्ध	1373.178 (555.759हे.)	0	1373.178 (555.759हे.)
		1373.178 एकड़ / 555.759 हे.		

S.N.	Query Reply-09
(ix)	It has been observed that the user agency has initially submitted diversion proposal of 951.620 Ha forest land out of which Stage-I approval was given by the Ministry wide its letter dated 23.08.1991. However, the status of the balance 207.62 Ha forest land is not available. The State Govt. shall submit the status of balance 207.62 Ha forest land the State Govt. shall also clarify whether the 146.31 hectare sought in the another diversion proposal of present user agency is located within the 207.62 hectare of forest land or otherwise. The State Govt. is requested to provide kml file as well. यह देखा गया है कि उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रारंभ में 951.620 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें से प्रथम चरण की स्वीकृति मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.08.1991 के पत्र के माध्यम से दी गई थी। हालांकि, शेष 207.62 हेक्टेयर वन भूमि की स्थिति उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार को शेष 207.62 हेक्टेयर वन भूमि की स्थिति प्रस्तुत करनी चाहिए और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वर्तमान उपयोगकर्ता एजेंसी के दूसरे डायवर्जन प्रस्ताव में मांगी गई 146.31 हेक्टेयर भूमि 207.62 हेक्टेयर वन भूमि के अंतर्गत आती है या नहीं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह केएमएल फाइल भी उपलब्ध कराएं।

जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत एन.टी.पी.सी रिहन्दनगर-बीजपुर के जनरल मैनेजर ने अपने पत्र संख्या- 070/पी.एण्ड.ए.एल.ए. दिनांक- 03.07.1989 **(संलग्रक-1)** द्वारा 2351.453 एकड़ (951.60हे) वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भेजा गया था।

उक्त प्रस्ताव को उच्च स्तर के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ.कम्पलेक्स लोदी रोड, नई दिल्ली की सेवा में प्रेषित किया गया । इस संबंध में भारत सरकार के स्तर पर सलाहकार समिति की बैठक दिनांक- 24.07.1990 को आयोजित की गयी । उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के पश्चात प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या- 8-412/89- एफ.सी. दिनाक- 23.08.1991 **(संलग्रक-2)** द्वारा 951.62 हे. में से (744.00 हे.) वन भूमि हस्तान्तरण करने का ही प्रस्ताव की **सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया थी ।**

शेष 207.62 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति ही प्रदान नहीं की गयी थी । वर्तमान उपयोगकर्ता एजेंसी के दूसरे डायवर्जन प्रस्ताव में मांगी गई 146.31 हेक्टेयर भूमि 207.62 हेक्टेयर वन भूमि के अंतर्गत नहीं आ रही थी , वह एक नया प्रस्ताव था ।

उपरोक्त सभी भूमियो का KML फ़ाइल भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण के ऑनलाइन पोर्टल PARIVESH का अपलोड किया जा चुका है और उसकी एक प्रति DFO रेनूकूट के कार्यालय मे जमा किया गया है ।

प्रदीप कुमार

प्रदीप कुमार
PRADEEP KUMAR
उप महाप्रबंधक (विधि)
Dy. General Manager (Law)
एनटीपीसी रिहंदनगर/NTPC Rihandnagar
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223